ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)

पत्रांकः 1597/भाविवि/कुसका/2022/ दिनांकः 20 सितम्बर, 2022

कार्य परिषद् की कार्यवाही

दिनांक 20 सितम्बर, 2022 को प्रातः 11:30 बजे प्रशासनिक भवन स्थित सभागार कक्ष में कार्यपरिषद् की आहूत 26वीं बैठक की कार्यवाही :–

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहेः–

1.	प्रो0 एन0बी0 सिंह, मा0 कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 हरिहर प्रसाद शुक्ल, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी। (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
3.	प्रो0 सूर्य प्रसाद दीक्षित, पूर्व अध्यक्ष–हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, डी–54, निरालानगर, लखनऊ।	सदस्य
4.	प्रो0 अरूनभ चटर्जी, एम.एस.–1/12, सेक्टर–ए, सीतापुर रोड, स्कीम लखनऊ।	सदस्य
5.	प्रो0 एहतेशाम अहमद, संकायाध्यक्ष–वाणिज्य	सदस्य
6	प्रो0 चन्दना डे, संकायाध्यक्ष–सामाजिक विज्ञान	सदस्य
7.	प्रो0 सौबान सईद, आचार्य–उर्दू, (सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग)	सदस्य
8.	प्रो0 मसऊद आलम, आचार्य–अरबी, (सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग)	सदस्य
9.	प्रो0 तनवीर खदीजा, आचार्य–अंग्रेजी विभाग	सदस्य
10.	प्रो0 सैयद हैदर अली, आचार्य–व्यवसाय प्रशासन विभाग	सदस्य
11.	डॉ0 मुशीर अहमद, सह आचार्य–व्यवसाय प्रशासन विभाग	सदस्य
12.	डॉ0 तत्हीर फातिमा, सह आचार्य–गृह विज्ञान	सदस्य
13.	डॉ0 वसी अहमद आज़म अंसारी, सहायक आचार्य–उर्दू विभाग	सदस्य
14.	डॉ0 पूनम चौधरी, सहायक आचार्य–इतिहास विभाग	सदस्य
15.	श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी, वित्त अधिकारी	विशिष्ट आमंत्रित
16.	श्री अजय कृष्ण यादव, कुलसचिव	सचिव।

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् के समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया और तदोपरान्त माननीय कुलपति जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत कार्यसूची पर बिन्दुवार निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

बिन्दु संख्या–26.1 :

कार्य परिषद की 25वीं बैठक दिनांक 25 जून, 2022 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

निर्णय :

परिषद् द्वारा पूर्व में कार्य परिषद की 25वीं बैठक दिनांक 25 जून, 2022 की कार्यवाही का सम्पुष्टिकरण किया गया।

बिन्दु संख्या–26.2 :

कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 25 जून, 2022 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report)।

निर्णय :

कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 25 जून, 2022 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) से परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–26.3 :

वित्त समिति की 19वीं बैठक दिनांक 03 सितम्बर, 2022 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा वित्त समिति की 19वीं बैठक दिनांक 03 सितम्बर, 2022 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा सुश्री स्वाती मौर्या के गणतंत्र दिवस की परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं सुश्री मानसी गौतम के राष्ट्रीय वोविनाम प्रतियोगिता–2022 में 44 किग्रा. वर्ग में स्वर्ण पद प्राप्त किये जाने पर हर्ष व्यक्त किया।

- **वित्त समिति के बिन्दु सं0–12.3 पर ऑउटरीच कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले शिक्षकों छात्रों के साथ–साथ कर्मचारियों को भी टी0ए0/डी0ए0 दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
- **वित्त समिति के बिन्दु सं0–12.10 पर कार्य परिषद द्वारा जांच हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर गठित जांच समिति/अनुशासनिक समिति में मा0 उच्च न्यायालय के वर्तमान/सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा समकक्ष को अध्यक्ष/सदस्य नामित करने पर उन्हें देय मानदेय रू. 10,000/– प्रति बैठक, शेष अन्य सदस्यों को रू. 5,000/– प्रति बैठक एवं उनके सहायतार्थ लिपिक को रू. 500/– प्रति बैठक निर्धारित किया गया।**

बिन्दु संख्या–26.4 :

विद्या परिषद की 12वीं बैठक दिनांक 06 सितम्बर, 2022 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विद्या परिषद की 12वीं बैठक दिनांक 06 सितम्बर, 2022 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–26.5 :

परीक्षा समिति (04) की बैठक दिनांक 04 जुलाई, 2022 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

कुलसचिव
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा परीक्षा समिति (04) की बैठक दिनांक 04 जुलाई, 2022 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–26.6 :

प्रवेश समिति की बैठक (04) दिनांक 11 अगस्त, 2022 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की बैठक (04) दिनांक 11 अगस्त, 2022 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–26.7 :

नैक में उल्लिखित मानक के अनुरूप विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में रखे जाने वाले अतिथि व्याख्याता के स्थान पर सहायक आचार्य (अस्थायी) के नाम का कार्योत्तर अनुमोदन।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा नैक में उल्लिखित मानक के अनुरूप विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में रखे जाने वाले अतिथि व्याख्याता का पदनाम परिवर्तित करके सहायक आचार्य (अस्थायी) करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–26.8 :

प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा, आचार्य, वाणिज्य द्वारा पूर्व में बायोमैट्रिक उपस्थिति न लगाये जाने के कारण तत्समय के वेतन आहरण के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा, आचार्य, वाणिज्य विभाग द्वारा पूर्व में बायोमैट्रिक उपस्थिति न लगाये जाने के कारण तत्समय के 75 दिनों के वेतन आहरण के सम्बन्ध में विचार करते हुए सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया–

(i) बायोमेट्रिक उपस्थिति न लगाये जाने को आदेशों की अवहेलना/अनुशासनहीनता मानते हुए प्रकरण को अनुशासनिक समिति को कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जाये।

(ii) कार्यपरिषद द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय जिसमें प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा के 75 दिनों के रूके वेतन को आहरित करने के सम्बन्ध में प्रो0 एहतेशाम अहमद, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग के पत्र दिनांक 30.07.2022 का संज्ञान लिया गया, जिसके द्वारा सूचित किया गया है कि *"विभाग में कोई उपस्थिति पंजिका नहीं रखी जाती थी सभी शिक्षकों को बायोमेट्रिक उपस्थिति का विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्देश था"*, के अन्तर्गत वेतन आहरण के सम्बन्ध में भी जॉच कर संस्तुति हेतु बिन्दु

कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

संख्या–(i) पर लिये गये निर्णय के अनुरूप सम्पूर्ण प्रकरण को अनुशासनिक समिति को संदर्भित कर दिया जाये।

बिन्दु संख्या–26.9 :

विश्वविद्यालय की वित्त समिति में डॉ0 नन्दकिशोरधर द्विवेदी को आगामी एक वर्ष हेतु सदस्य नामित किये जाने सम्बन्धी पत्र दिनांक 170/भा.विवि/वि.अ.का./2022/31/10(2), दिनांक 14–07–2022 से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय की वित्त समिति में डॉ0 नन्दकिशोरधर द्विवेदी को आगामी एक वर्ष हेतु सदस्य नामित किये जाने सम्बन्धी पत्र दिनांक 170/भा.विवि/वि.अ.का./2022/31/10(2), दिनांक 14–07–2022 से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–26.10 :

डॉ0 प्रियंका सूर्यवंशी, गृह विज्ञान विभाग का इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में सह आचार्य के पद पर चयन हो जाने की दशा में दिनांक 06–09–2022 से एक वर्ष का अवैतनिक असाधारण अवकाश प्रदान किये जाने सम्बन्धी पत्र संख्या–1525/भा.विवि/कुसका/2022/124/13, दिनांक 05 सितम्बर, 2022 के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा डॉ0 प्रियंका सूर्यवंशी, गृह विज्ञान विभाग का इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में सह आचार्य के पद पर चयन हो जाने की दशा में दिनांक 06–09–2022 से एक वर्ष का अवैतनिक असाधारण अवकाश प्रदान किये जाने सम्बन्धी पत्र संख्या–1525/भा.विवि/कुसका/2022/124/13, दिनांक 05 सितम्बर, 2022 पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–26.11 :

विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–1091/सत्तर–5–2022–26/2022, दिनांक 02 अगस्त, 2022 के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न कराये जाने पर विचार।

निर्णय :

विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–1091/सत्तर–5–2022–26/2022, दिनांक 02 अगस्त, 2022 के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न कराये जाने तथा नई नियुक्तियों हेतु कार्य परिषद् द्वारा विषय विशेषज्ञों के पैनल पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कुलपति

बिन्दु संख्या–26.12 :

विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यों के सुगम सम्पादन हेतु अधिष्ठाता–शैक्षणिक का पद सृजन किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यों के सुगम सम्पादन हेतु अधिष्ठाता–शैक्षणिक तथा उनके सहयोगार्थ 02 उप अधिष्ठाता नामित किये जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हुए अधिष्ठाता/उप अधिष्ठाता नामित किये जाने हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया है। उपरोक्त नामित अधिष्ठाता/उप अधिष्ठाता–शैक्षणिक को कोई अतिरिक्त मानदेय/भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

बिन्दु संख्या–26.13 :

उप कुलसचिव का पद रिक्त होने के कारण माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–277/वी.आई.पी./उ.शि.सू.प्रौ.वि.प्रौ./2022, दिनांक 09–07–2022 के अनुपालन में विश्वविद्यालय कार्यों के निस्तारण में आ रही समस्या के दृष्टिगत उप कुलसचिव का प्रभार डॉ0 जावेद अख्तर को दिये जाने सम्बन्धी आदेश पत्र संख्या–1459/भा.विवि/कुसका/ 2022–852/22, दिनांक 26 अगस्त, 2022 का अनुमोदन।

निर्णय :

उप कुलसचिव का पद रिक्त होने के कारण माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–277/वी.आई.पी./उ.शि.सू.प्रौ.वि.प्रौ./2022, दिनांक 09–07–2022 के अनुपालन में विश्वविद्यालय कार्यों के निस्तारण में आ रही समस्या के दृष्टिगत उप कुलसचिव का प्रभार डॉ0 जावेद अख्तर को दिये जाने सम्बन्धी आदेश पत्र संख्या–1459/भा.विवि/कुसका/ 2022–852/22, दिनांक 26 अगस्त, 2022 का कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–26.14 :

विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया, एनरोलमेंट, उपस्थिति विवरण तथा छात्र/छात्राओं से सम्बन्धित अन्य अकादमिक कार्यों के सुचारू सम्पादन/गति प्रदान करने के लिए डॉ0 पूनम चौधरी, सहायक आचार्य–इतिहास को शैक्षणिक कार्यों के अतिरिक्त उप परीक्षा नियंत्रक नामित किये जाने सम्बन्धी पत्र संख्या–1460/भा.विवि/कुसका/ 2022–852/22, दिनांक 26 अगस्त, 2022 का अनुमोदन।

निर्णय :

विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया, एनरोलमेंट, उपस्थिति विवरण तथा छात्र/छात्राओं से सम्बन्धित अन्य अकादमिक कार्यों के सुचारू सम्पादन/गति प्रदान करने के लिए डॉ0 पूनम चौधरी, सहायक आचार्य–इतिहास को शैक्षणिक कार्यों के अतिरिक्त उप परीक्षा नियंत्रक नामित किये जाने सम्बन्धी पत्र

कुलसचिव   कुलपति

संख्या–1460 / भा.विवि / कुसका / 2022–852 / 22, दिनांक 26 अगस्त, 2022 का कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–26.15 :

कार्य परिषद् की 25वीं बैठक के बिन्दु संख्या–28 में महालेखाकार कार्यालय प्रयागराज से प्राप्त ऑडिट आपत्ति के भाग–दो ब के प्रस्तर–4 में उल्लिखित आपत्ति "नवनियुक्ति शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं एवं निर्गतकर्ता कार्यालयों से न करवाये जाने" के दृष्टिगत ऑडिट पैरा के निस्तारण हेतु अग्रेत्तर कार्यावाही किये जाने के निर्देश दिये गये। परिषद् द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी कि उक्त प्रकरण में कृत कार्यवाही की प्रगति आख्या से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये।

निर्णय :

कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि समस्त नियमित शिक्षकों के अंकपत्र, प्रमाणपत्र, समस्त अभिलेखों आदि की जांच उनके निर्गत करने वाली संस्था से करायी जा रही है, कुछ शिक्षकों के कुछ अभिलेखों का सत्यापन प्राप्त हुआ तथा कुछ शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन प्रतीक्षित है। इस पर कार्य परिषद् द्वारा समस्त शिक्षकों के सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त कार्य परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या–26.16 :

विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–1912 / सत्तर–4–2022–4(45) / 2022, दिनांक 17 अगस्त, 2022 द्वारा विश्वविद्यालय की संस्थागत विकास योजना उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा पुनः तैयार की गयी संक्षिप्त विश्वविद्यालय की संस्थागत विकास योजना को उच्च शिक्षा अनुभाग–4 प्रेषित किये जाने पर विचार।

निर्णय :

विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–1912 / सत्तर–4–2022–4(45) / 2022, दिनांक 17 अगस्त, 2022 द्वारा विश्वविद्यालय की संस्थागत विकास योजना उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा पुनः तैयार की गयी विश्वविद्यालय की संस्थागत विकास योजना को शासन को प्रेषित किये जाने पर कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–26.17 :

Outreach Policy में प्राप्त सुझावों को सम्मिलित करते हुए अनुमोदित किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा Outreach Policy में प्राप्त सुझावों को सम्मिलित करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–26.18 :

Ethics Policy के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा Ethics Policy पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–26.19 :

E-Governance Policy के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा E-Governance Policy पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–26.20 :

Internal Complaint Committe Policy के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा Internal Complaint Committe Policy पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–26.21 :

Solid Waste Management Policy के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा Solid Waste Management Policy पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–26.22 :

Water Conservation Policy के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा Water Conservation Policy पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–26.23 :

Policy Document for Divyangjan के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा Policy Document for Divyangjan पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–26.24 :

Hostel Manual Policy के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा Hostel Manual Policy पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कुलसचिव

कुलपति

बिन्दु संख्या–26.25 :

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं, रिसर्च स्कालर तथा शिक्षकों के शोध एवं विकास के प्रोत्साहन हेतु तैयार की गयी **"Incentive schemes for students and teachers"** के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं, रिसर्च स्कालर तथा शिक्षकों के शोध एवं विकास के प्रोत्साहन हेतु तैयार की गयी "Incentive schemes for students and teachers" पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–26.26 :

दिनांक 01–08–2022 को बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी तथा विश्वविद्यालय के मध्य Facilitating Institutional Exchange between Faculty and Students, Supporting UG/PG and Research Scholars with Co-Guides, Creation and Promotion of Credit and Non-Credit MOOC Programmes and other Academic and Technical Support हेतु किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 01–08–2022 को बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी तथा विश्वविद्यालय के मध्य Facilitating Institutional Exchange between Faculty and Students, Supporting UG/PG and Research Scholars with Co-Guides, Creation and Promotion of Credit and Non-Credit MOOC Programmes and other Academic and Technical Support हेतु किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–26.27 :

दिनांक 02–08–2022 को Edunet Foundation, Gurugram तथा विश्वविद्यालय के मध्य Capacity Development and Skill Enhancement of the Students and Faculty through TechSaksham Program हेतु किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 02–08–2022 को Edunet Foundation, Gurugram तथा विश्वविद्यालय के मध्य Capacity Development and Skill Enhancement of the Students and Faculty through TechSaksham Program हेतु किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–26.28 :

दिनांक 16–08–2022 को BAJAJ FINSERV तथा विश्वविद्यालय के मध्य Imparting practical knowledge and essential skills to final year graduation students and fresh graduates, especially those belonging to economically weaker sections to create employment opportunities for them in the Banking, Finance and Insurance Companies through a Certificate Programme in Banking, Finance and Insurance (CPFBI) हेतु किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

कुलसचिव

कुलपति

निर्णय :

दिनांक 16–08–2022 को BAJAJ FINSERV तथा विश्वविद्यालय के मध्य Imparting practical knowledge and essential skills to final year graduation students and fresh graduates, especially those belonging to economically weaker sections to create employment opportunities for them in the Banking, Finance and Insurance Companies through a Certificate Programme in Banking, Finance and Insurance (CPFBI) हेतु किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

अन्य बिन्दु 26.29 :

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार–

अन्य बिन्दु संख्या–26.29.01 :

प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के पत्र संख्या–यू.पी.एल.सी:स्टार्ट अप नीति–2020(2022–23)/1188, दिनांक 06 सितम्बर, 2022 द्वारा विश्वविद्यालय में इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु स्वीकृत रू. 1.50 करोड़, 30 लाख प्रति वर्ष की सीमा तक अधिकतम 05 वर्ष की अवधि अथवा स्वनिर्भर होने तक, से परिषद से संसूचित किया जाना।

निर्णय :

प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के पत्र संख्या–यू.पी.एल.सी:स्टार्ट अप नीति–2020(2022–23)/1188, दिनांक 06 सितम्बर, 2022 द्वारा विश्वविद्यालय में इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु स्वीकृत रू. 1.50 करोड़, 30 लाख प्रति वर्ष की सीमा तक अधिकतम 05 वर्ष की अवधि अथवा स्वनिर्भर होने तक, से कार्य परिषद संसूचित हुयी।

अन्य बिन्दु संख्या–26.29.02 :

I.T. Policy के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा I.T. Policy पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–26.29.03 :

दिनांक 05–08–2022 को REACHA, New Delhi तथा विश्वविद्यालय के मध्य Enabling Skill Training of students under the IBM Skills Build Project हेतु किये गये एम. ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 05–08–2022 को REACHA, New Delhi तथा विश्वविद्यालय के मध्य Enabling Skill Training of students under the IBM Skills Build Project हेतु किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

कुलपति

अन्य बिन्दु संख्या–26.29.04 :

प्रवेश समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2022 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा प्रवेश समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2022 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–26.29.05 :

रिट याचिका संख्या–16499/2021 डॉ0 श्वेता अग्रवाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–09–2022 पर कार्यवाही किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कुलसचिव द्वारा रिट याचिका संख्या–16499/2021 डॉ0 श्वेता अग्रवाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–09–2022, समस्त सदस्यों को पढ़कर सुनाया गया, जो निम्नवत् है:–

The petitioner has appeared in person as the lawyers are abstaining from judicial work.

She claims to have appeared in the interview held on 25.08.2020 for the post of Assistant Professor, Education under EWS Category for the Khwaja Moinuddin Chisti Language University, Lucknow, U.P. after having done her Ph.d. from the B.H.U. Her result was not declared. A decision was taken by the Executive Council on 28.08.2020 not to declare the result till the Writ Petition No. 9052 (S/S) of 2020; Dr. Narendra Kumar Pathak and Ors. Vs. State of U.P. and Ors. was decided. It is said that there is no interim order in the said writ petition. Further more, she says that the inquiry which was ordered by the Vice-Chancellor vide order dated 17.011.2020 has been completed and according to her, the Inquiry Committee has opined that there is no impediment in filling up the post under EWS category.

On a perusal of the counter affidavit of the University the Court finds that results of two candidates under EWS category, namely, Dr. Tabinda Sultana and Dr. Praveen Kumar Rai were declared on 08.08.2020 and 22.08.2020 prior to passing of the resolution dated 28.08.2020 by the Executive Council. Subsequently, no result under the EWS Category has been declared.

Let the learned counsel for University and Chancellor's counsel inform the Court on the next date as to whether the petitioner has been selected for appointment as Assistant Professor, Education under the EWS category or not. He shall also inform the Court as to whether the interview of the petitioner was held prior to the resolution dated 28.08.2020 or not. He shall also address the Court as to why petitioner's result be not ordered to be declared subject to

कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

result of Writ Petition No. 9052 of 2020 which is another writ petition wherein the advertisement is under challenge, if there is no interim order therein restraining the declaration of result and appointment and if the petitioner has been selected, her appointment why can not be made subject to the result of the said writ petition.

List/ put up on 22.09.2022.

मा0 न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में कार्य परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सूचना उपलब्ध करा दी जाय। सूचना उपलब्ध कराने हेतु बन्द लिफाफे को खोलने के लिए मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–26.29.06 :

प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा, आचार्य, वाणिज्य विभाग के पत्र दिनांक 17–09–2022 द्वारा कार्य परिषद् के गठन सम्बन्धी शिकायती पत्र में कार्यवाही पर विचार।

निर्णय :

प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा, आचार्य, वाणिज्य विभाग के पत्र दिनांक 17–09–2022 द्वारा कार्य परिषद् के गठन सम्बन्धी शिकायती पत्र में कार्यवाही पर चर्चा की गयी तथा यह पाया गया कि उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत गठित कार्य परिषद् में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तथा कार्य परिषद् की 21वीं बैठक दिनांक 05–02–2021 के बिन्दु संख्या–41 पर लिये गये निर्णय को यथावत् बनाये रखने पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–26.29.07 :

प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा, आचार्य, वाणिज्य विभाग के पत्र दिनांक 17–09–2022 द्वारा 75 दिन का वेतन निर्गत किये जाने सम्बन्धी शिकायती पत्र पर कार्यवाही किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा के 75 दिन के वेतन निर्गत के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या–26.08 पर लिये गये निर्णयानुसार प्रकरण को अनुशासनिक समिति को भेजे जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–26.29.08 :

विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–रा. पा. 21/सत्तर–1–2022, दिनांक 14 जुलाई, 2022 के माध्यम से प्राप्त तत्कालीन कुलपति द्वारा शिक्षकों के विभिन्न पदों पर की गयी नियुक्तियों में अनियमितता एवं विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितता व अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में जांच आख्या को स्वीकार किये जाने पर विचार।

कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)

निर्णय :

राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ के पत्र संख्या–ई–223/24–जी0एस0/2020–X दिनांक 11.01.2021 के कम में उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–8 रा0प0/सत्तर–1–2021–16(8)/2021 दिनांक 02.02.2021 द्वारा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति के पद पर कार्यरत् रहते हुए प्रो0 माहरूख़ मिर्जा द्वारा शिक्षकों के विभिन्न पदों (संविदा व नियमित) पर कार्यकाल के अन्तिम दिनों में की गयी नियुक्तियों में आरक्षण नियमों की अनदेखी किये जाने, रिश्तेदारों व परिचितों की नियुक्ययाँ करने तथा विश्वविद्यालय की परिनियमावली एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित मानकों एवं दिशा–निर्देशों की अवहेलना कर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किये जाने तथा विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितता किये जाने से सम्बन्धित शपथ पत्र पर शिकायत एवं अन्य शिकायती पत्रों के सम्बन्ध में जॉच करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–8 के अन्तर्गत राज्य सरकार को प्राप्त शक्यिों का प्रायोग करते हुए श्री एस0के0 त्रिपाठी (सेवानिवृत्त), माननीय न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय जॉच समिति का गठन किया गया।

श्री एस0के0 त्रिपाठी (सेवानिवृत्त), माननीय न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय जॉच समिति की रिपोर्ट विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–रा.पा. 21/सत्तर–1–2022, दिनांक 14 जुलाई, 2022 के माध्यम से विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी गई, जो प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा (वर्तमान आचार्य, वाणिज्य विभाग, ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय) ने कुलपति पद पर रहते हुए शिक्षकों के विभिन्न पदों पर की गयी नियुक्तियों में अनियमितता, कदाचार (misconduct), पक्षपात (favourism), भाई–भतीजावाद (nepotism), विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितता एवं शिकायत के सम्बन्ध में हैं, पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही तथा प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में है, को कार्यपरिषद द्वारा स्वीकार करते हुए निम्न निर्णय लिये गये–

(i) कार्यपरिषद द्वारा जॉच रिपोर्ट को पूर्णतः स्वीकार किया गया।

(ii) प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में जॉच समिति की रिपोर्ट में इंगित बिन्दुओं अनियमितताओं, कदाचार (misconduct), पक्षपात (favourism), भाई–भतीजावाद (nepotism) एवं अन्य संगत बिन्दुओं पर जॉच कर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विश्वविद्यालय परिनियमावली 8.10(1) सपठित 8.11 (1)(b) में दी गई व्यवस्था के अनुरूप निम्नवत् अनुशासनिक समिति का गठन किया गया :–

1. माननीया न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना पाण्डया (सेवानिवृत्त), मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद – अध्यक्ष

कुलसचिव

कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

Add. : - Sitapur-Hardoi Bypass Road, Lucknow-226013 U.P. (India)
website : https://kmclu.ac.in/, e-mail : reg@kmclu.ac.in

2. प्रो0 एन0बी0 सिंह, कुलपति, ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ – सदस्य
3. श्री एस.पी. तिवारी, सेवानिवृत्त अपर जिला न्यायाधीश, उच्चतर न्यायिक सेवा, उ0प्र0 – सदस्य

कार्यपरिषद द्वारा बिन्दु संख्या–26.08 एवं 26.29.13 में उल्लिखित बायोमेट्रिक उपस्थिति न लगाया जाना एवं उनके पूर्व नियोक्ता संस्थान– शिया पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ के पत्र दिनांक 26.08.2022 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित रिपोर्ट को भी उपरोक्त समिति के समक्ष जॉच हेतु प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

समिति से अपेक्षा की गई कि त्रिसदस्यीय जॉच समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित बिन्दुओं, बायोमेट्रिक उपस्थिति न लगाया जाना, पूर्व नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धी रिपोर्ट आदि समस्त बिन्दुओं को समावेशित करके शीघ्रातिशीघ्र जॉच पूर्ण कर संस्तुति सहित प्रस्तुत करेगी।

(iii) विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–रा. पा. 21/सत्तर–1–2022, दिनांक 14 जुलाई, 2022 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट में इंगित बिन्दुओं के संदर्भ में शिक्षकों की नियुक्ति, अर्हता एवं अन्य विषयों से सम्बन्धित बिन्दुओं की जांच हेतु विश्वविद्यालय परिनियमावली 8.10(1) सपठित 8.11 (1)(b) में दी गई व्यवस्था के अनुरूप निम्नवत् अनुशासनिक समिति का गठन किया गया :–

1. प्रो0 एन0बी0 सिंह, कुलपति, ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ – अध्यक्ष
2. प्रो0 ओम नारायण मिश्रा (सेवानिवृत्त), विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ। – सदस्य
3. प्रो0 आनन्द कुमार विश्वकर्मा, विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ – सदस्य

समिति से अपेक्षा की गई कि त्रिसदस्यीय जॉच समिति की रिपोर्ट में शिक्षकों की नियुक्ति, अर्हता (विश्वविद्यालय की परिनियमावली एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार) एवं अन्य विषयों के परिप्रेक्ष्य में शीघ्रातिशीघ्र जॉच पूर्ण कर संस्तुति सहित प्रस्तुत करेगी।

(iv) विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–रा. पा.21/सत्तर–1–2022, दिनांक 14 जुलाई, 2022 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट में इंगित बिन्दुओं के संदर्भ में श्री शबीह हैदर, लेखाकार की अर्हता एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु विश्वविद्यालय परिनियमावली 8.10(1) सपठित 8.11 (1)(b) में दी गई व्यवस्था के अनुरूप निम्नवत् अनुशासनिक समिति का गठन किया गया:–

कुलपति
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

1. प्रो0 एन0बी0 सिंह, कुलपति, ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ —अध्यक्ष
2. प्रो0 एस0पी0 शुक्ला, निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बांदा —सदस्य
3. श्री ए0के0 सिंह, (सेवानिवृत्त वित्त अधिकारी), वित्त सेवा, उ0प्र0 —सदस्य

समिति से अपेक्षा की गई कि त्रिसदस्यीय जॉच समिति की रिपोर्ट में श्री शबीह हैदर, लेखाकार की अर्हता एवं पदोन्नति के परिप्रेक्ष्य में शीघ्रातिशीघ्र जॉच पूर्ण कर संस्तुति सहित प्रस्तुत करेगी।

कार्य परिषद् द्वारा उपरोक्त प्रथम अनुशासनिक समिति हेतु डॉ0 भावना मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी तथा शेष दो अन्य अनुशासनिक समिति हेतु श्री प्रेम शंकर, सहायक कुलसचिव को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में नामित किया गया।

उपरोक्त गठित अनुशासनिक समिति संख्या–(ii) एवं (iii) की कार्यावधि 06 माह तथा अनुशासनिक समिति संख्या–(iv) की कार्यावधि 03 माह की होगी।

अन्य बिन्दु संख्या–26.29.09 :

विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अंक–पत्र/प्रमाणपत्रों के सत्यापन हेतु शुल्क निर्धारण किये जाने पर विचारः–

निर्णय :

विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अंक–पत्र/प्रमाणपत्रों के सत्यापन हेतु कार्य परिषद् निर्णय लिया गया कि यदि किसी संस्थान द्वारा किसी छात्र के अंक/प्रमाणपत्र का सत्यापन कराया जाता है, तो रू.500/– का भुगतान सम्बन्धित संस्थान को विश्वविद्यालय के पक्ष में करना होगा तथा यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं अंक/प्रमाणपत्र का सत्यापन कराया जाता है, तो उस छात्र/छात्रा को रू. 300/– का भुगतान विश्वविद्यालय के पक्ष में करना होगा, जिस पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–26.29.10 :

विश्वविद्यालय में शोध ग्रन्थ मूल्यांकन के मूल्यांकन हेतु शुल्क निर्धारण किये जाने पर विचार।

निर्णय :

विश्वविद्यालय में शोध ग्रन्थ मूल्यांकन के मूल्यांकन हेतु जब तक शुल्क निर्धारण नहीं हो जाता है, तब तक के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में निर्धारित शुल्क की भांति शुल्क लिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–26.29.11 :

सहायक कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक के सहायतार्थ 03 कनिष्ठ लिपिक तथा 03 अनुचर के पद सृजन किये जाने पर विचार।

कुलसचिव
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा सहायक कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं कुलसचिव के सहायतार्थ 03 कनिष्ठ लिपिक तथा 03 अनुचर के पद सृजन किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–26.29.12 :

कुलपति कैम्प कार्यालय हेतु 03 कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा 03 अनुचर के पद सृजन किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा कुलपति कैम्प कार्यालय हेतु 02 कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा 03 अनुचर के पद सृजन किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–26.29.13 :

प्रोवोस्ट–नेताजी सुभाष चन्द्रबोस छात्रावास (पुरूष) द्वारा 01 केयर टेकर का पद सृजित किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस छात्रावास (पुरूष) हेतु 01 (एक) केयर टेकर का पद सृजित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–26.29.14 :

सैय्यद अब्बास मुर्तज़ा शम्सी, संयुक्त सचिव/प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति, शिया पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ के पत्र दिनांक 26–08–2022 द्वारा प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा, आचार्य के पक्ष में निर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र दिनांक 19–01–2022 एवं 03–10–2012 के सत्यापन के सम्बन्ध में निम्नवत् अवगत कराया गया है:–

"आप द्वारा संलग्न किये गये अनापत्ति प्रमाणपत्र दिनांक 19–01–2011 पूर्णतः फर्जी व असत्य है। महाविद्यालय के रिकॉर्ड में इस तरीके का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

पत्र के साथ संलग्न वेतन प्रमाणपत्र दिनांक 03–10–2012 सत्य व वैध है, जो महाविद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार सही है।"

उपरोक्त प्रकरण कार्य परिषद् के समक्ष कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा के विरूद्ध शिया पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या को प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा के प्रकरण से सम्बन्धित गठित अनुशासनिक समिति को प्रेषित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्य परिषद् की बैठक समाप्त हुयी।

20/9/22 | 20/9/22
(अजय कृष्ण यादव)
कुलसचिव/सचिव
कुलसचिव
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

(प्रो0 एन0बी0 सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष
कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ